(154)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1578-दो/2014 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक 26-2-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 1273/11-12 अपील

विद्याप्रसाद पटैल पुत्र छोटा पटैल
ग्राम बरिगवा तहसील चुरहट जिला रीवा ---आवेदक

विरुद्ध

बृजेन्द्र सिंह पटैल पुत्र राघेश्याम पटैल
ग्राम बरिगवा तहसील चुरहट जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम.के.अग्निहोत्री)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री राकेश तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक २९-०५-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1273/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-14 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार चुरहट ने प्र0क0 36 अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30–11–11 से उभय पक्ष के बीच सामिलाती भूमि का बटवारा किया है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 33/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–7–12 से अपील निरस्त हुई है, जिसके विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई एंव अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 1273/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–2–14 से तहसीलदार चुरहट का आदेश दिनांक 30–11–11 एंव अनुविभागीय अधिकारी चुरहट का आदेश दिनांक 17–7–12 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार की ओर पुनः सुनवाई एंव बटवारा कार्यवाही करने के लिये प्रत्यावर्तित किया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये है। अनावेदक के अभिभाषक के तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके हैं। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/. आवेदक के अभिभाषक के लेखी तर्क पर एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को वर्तमान नियमों के अधीन प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता है, जबकि उनके समक्ष द्वित्तीय अपील दिनांक 30–07–2012 को

प्रस्तुत हुई है। **मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कमांक 42(2011) के द्वारा धारा 49 में उपधारा (3) का प्रतिस्थापन किया गया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि :-**

" अपील न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या आवश्यक हो जाने पर अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, परन्तु अपील प्राधिकारी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को मामला निपटाने के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करेगा।"

स्पष्ट है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को वर्तमान नियमों के अधीन मामला तहसीलदार को पुर्नजांच एंव पुर्नसुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1273/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-14 न्यायिक प्रकिया के उल्लॅघन में होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1273/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0अली)

सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर